प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022 प्र.इ.रि.स 303/22 दिनांक 2/8/2022
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7, पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018
   (2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 35 समय 7:15 Pm.
   (2) अपराध के घटने का दिन सोमवार दिनांक 01.08.2022 समय 11:40 ए.एम
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 18.07.2022 समय 05:00 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल :
   (1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 300 किलोमीटर
   (2) पता – कलेक्ट्री परिसर चित्तौडगढ में एस.पी. ऑफिस के पास स्थित पार्किंग ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
   <u>परिवादी</u>
   (1) नाम : श्री अनिल कुमार चंदेल
   (2) पिता का नाम : श्री नारायण लाल
   (3) आयु : 38 वर्ष
   (4) राष्ट्रीयता : भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
   (6) व्यवसाय : ठेकेदारी ।
   (7) पता : निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ ।
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   श्री फुलचन्द स्वामी पुत्र श्री लक्ष्मण स्वामी जाती स्वामी उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट बुटेरी तहसील बानसून जिला अलवर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एंव भू संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ ।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो पृष्ठ अलग से नत्थी करे)
   क्रम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थितिः–
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 50000/– रूपये
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट :–

सेवामें,

श्रीमान् पुलिस निरिक्षक महोदय जी,
भ्रष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो,
चित्तौडगढ (राज.)

विषय : – रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने हेतु ।

महोदय जी,

निवेदन इस प्रकार है कि मेरा नाम अनिल कुमार चन्देल है । और M/S ब्ल्यू वाटर एग्रोटेक, भीलवाडा की फर्म में साईट इंचार्ज होकर सुपरविजन एवं कार्य संम्पादन का कार्य करता हूं । उक्त फर्म द्वारा चार साईटों पर सोलर पम्प, ड्रिप सिस्टम एवं ट्यूबवेल खनन का कार्य सम्पादन हेतु जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग चित्तौडगढ द्वारा सोनियाणा एवं गंगरार ग्राम पंचायतों में कार्य करने हेतु कार्यालय सहायक अभियन्ता (PIA) गंगरार के कार्यादेश मार्च 2021 के तहत सोनियाणा ग्राम में दो कार्य एवं गंगरार ग्राम में एक कार्य करवाया गया तथा कार्यालय सहायक अभियन्ता (PIA) गंगरार के कार्यादेश जुलाई 2021 के तहत गंगरार में एक कार्य इस प्रकार दोनो कार्यादेशों के तहत् कुल चार कार्य समय पर नियमानुसार पूर्ण कर दिया गया था । जिनके कुल कार्यादेश राशि क्रमशः 22.51 लाख, 13.12 लाख, तथा 12.67 लाख कुल 48.30 लाख है। जिसमें से लगभग 33.00 लाख का भुगतान हो चुका है । शेष लगभग 15.00 लाख के भुगतान के लिए जब में विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता श्री फूल चन्द स्वामी से सम्पर्क किया तो मेजरमेन्ट बुक भरने तथा डिमाण्ड भेजने तथा भुगतान करवोन के लिये आना–काना की बाद में कुल 11% कुल राशि 48.30 लाख का कमीशन मांग रहे है और रिश्वत के लिए मुझ पर लगातार परेशान कर रहे है । मैं कमीशन के रूप में रिश्वत मांगे जाने से परेशान हुं और मैं रिश्वत नही देना चाहता हूं और श्री कनिष्ठ अभियन्ता साहब को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं ।

अतः श्रीमान् के समक्ष कानुनी कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

दिनांक 18.07.2022

प्रार्थी
एस.डी./–
अनिल कुमार
7014706800

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 18.07.2022 समय 05.00 पी.एम. पर परिवादी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री नारायण लाल जी उम्र 38 वर्ष जाति खटीक निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आया व मन् पुलिस निरीक्षक को लिखित रिपोर्ट पेश की, कि श्री फुलचन्द स्वामी कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ फर्म जिसका में साइट इंचार्ज हूं ब्ल्यू वाटर एग्रोटेक भीलवाडा द्वारा ग्राम पंचायत सोनियाणा एवं गंगरार जिला चित्तौडगढ में चार साईटों पर सोलर पम्प तथा ड्रीप सिस्टम एवं ट्यूबवेल खनन से सम्बन्धित करवाये गये कार्यो के बिलो के भूगतान करवाने के बदले 11 प्रतशित कमिशन के हिसाब से रिश्वत की मांग कर रहे है में उनको रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं व रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं । इस पर परिवादी द्वारा पेश उपरोक्त रिपोर्ट के मजमून एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि के लेन–देन का पाया जाने से ब्यूरो कार्यालय से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर परिवादी अनिल कुमार चन्देल को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु व बन्द करने एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध मे समझाईश दी गई । ब्यूरो कार्यालय से श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 को बुलाकर परिवादी से परिचय करवाया गया तथा श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 को परिवादी के साथ जाकर आरोपी के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करा आने बाबत् आवश्यक हिदायत दी गई । इस पर परिवादी ने बताया कि आज कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय मे उपस्थित नही है वह कही बाहर गया हुआ है हुई है इस कारण से आज उनसे कोई वार्ता नही हो पायेगी तथा परिवादी ने यह भी बताया कि जब भी मेरी कनिष्ठ अभियन्ता से जरिये दूरभाष वार्ता होगी तो मेरे द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा दिया जावेगा । इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा

श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 को हिदायत दी की मैं दिनांक 19.07.2022 को राजकार्य में व्यस्त रहूंगा आप परिवादी के सम्पर्क में रह कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करावें । दिनांक 19.07.2022 को समय करीब 05.23 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक से श्री जितेन्द्र सिंह ने जरिये दूरभाष परिवादी श्री अनिल कुमार चन्देल से सत्यापन होने के सम्बन्ध में वार्ता करवाई गई। दिनांक 20.07.2022 को श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 मय डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के कार्यालय में उपस्थित होकर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया की श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी श्री अनिल कुमार चन्देल ने दिनांक 19.07.2022 को समय करीब 04.31 पी.एम पर मुझे जरिये मोबाईल वार्ता कर बताया की मेरी श्री फूलचन्द स्वामी कनिष्ठ अभियन्ता से आज वार्ता हुई उसने मुझे समय लगभग 04–05 बजे कलेक्ट्री परिसर चित्तौडगढ में मिलने के सम्बन्ध में कहा है, आप मुझे समय लगभग 04–05 बजे कलेक्ट्री परिसर चित्तौडगढ के आस–पास उपस्थित मिलना । इस पर मैं परिवादी के बताये अनुसार कलेक्ट्री परिसर चित्तौडगढ में अपनी उपस्थिति को छूपाते हुए मुकीम रहा । समय करीब 04.38 पी.एम. पर परिवादी ने मुझसे जरिये दूरभाष वार्ता कर बताया कि मैं कलेक्ट्री परिसर चित्तौडगढ की पार्किंग में खडा हूं जिस पर मैं मय डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के परिवादी से मिला जिस पर परिवादी ने मुझे कहा कि श्री फुलचन्द स्वामी कनिष्ठ अभियन्ता अभी कलेक्ट्री चित्तौडगढ में ही है तथा उन्होने मुझे कहा कि मैं ए.डी.एम. कार्यालय के पीछे की तरफ खडा हूं आप वहीं आ जाओं जिस पर मेरे द्वारा परिवादी को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालुकर देने के उपरान्त परिवादी को आरोपी के बताये अनुसार स्थान पर भेजा तथा मैं भी अपनी उपस्थिति को छूपाते हुए एक तरफ साईड में खडा हो गया था । तत्पश्चात् कुछ समय बाद परिवादी ने वापस आकर बताया की मेरी जेईन साहब से बात हो गई है। जेईन साहब ने मेरे से कार्योदेश के अनुसार 11 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग की तथा जेईन साहब ने रिश्वत राशि जल्द से जल्द लाने के सम्बन्ध में कहा है । इसके उपरान्त मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालुकर सुना गया तो दिनांक 19.07.2022 को परिवादी एवं श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद होने के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन होने की पुष्ठि होना पाया गया। इसके उपरान्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 01.08.2022 समय करीब 09.00 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही मे स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से जरिये तहरीर श्रीमान् मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला चितौड़गढ को प्रेषित की गई। समय करीब 09.30 ए.एम. पर परिवादी अनिल कुमार चन्देल ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आया जिन्हें कार्यालय में बैठाया गया एवं तलबी शुदा दो स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित आयें। दोनों स्वतंत्र गवाहान से उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम श्री ओमप्रकाश छीपा पुत्र श्री द्वारका प्रसाद छीपा जाति छीपा उम्र 55 साल निवासी मकान नम्बर 02/22, एच.आई.जी., आर.एच.बी. कॉलोनी चन्देरिया जिला चित्तौडगढ हाल व्याख्याता मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय चित्तौडगढ एवं दुसरे ने अपना नाम श्री मोहम्मद उमर पुत्र श्री अब्दुल अजीज जाति मुसलमान उम्र 51 साल निवासी मकान नम्बर 62 हसमत कॉलोनी देहली गेट के पास चित्तौडगढ हाल वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय पुरूषार्थी चित्तौडगढ होना बताया। इसके उपरान्त दोनों स्वतंत्र गवाहान को उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह के रूप में उपस्थित रहने हेतु निवेदन करने पर दोनों ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। इसके उपरान्त परिवादी अनिल कुमार चन्देल व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराकर परिवादी की दिनांक 18.07.2022 को प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर सुनाई गई व दिखाई गई। परिवादी द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र उसके द्वारा दिनांक 18.07.2022 को प्रस्तुत करना तथा उसमें अंकित तथ्य सही होने की ताईद की तथा प्रार्थना पत्र स्वयं हस्तलिखित होकर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी की उपरोक्त रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालुकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान को सुनाया गया तथा

गवाहान के समक्ष परिवादी ने बताया कि उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में एक आवाज उसकी है तथा दूसरी आवाज श्री फुलचन्द स्वामी हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ की है। उक्त सुनी हुई वार्ता अनुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्ठि हुई जिसे दोनो गवाहान ने भी स्वीकार किया समय करीब 09.50 ए.एम. पर तलबीशुदा जाप्ता श्री सुरजमल कानि0 नम्बर 247 कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ से ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ में उपस्थित आया। समय करीब 10.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ एवं परिवादी श्री अनिल कुमार चन्देल के मध्य हुई सत्यापन वार्ता जो कि ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मे दर्ज रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.07.2022 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से रूबरू गवाहान के समक्ष श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की मूल एवं डब सी.डी. कम्प्यूटर से तैयार करवाई जाकर मूल सी.डी. पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सी.डी. को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिलचिट किया जाकर कपडे की थैली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर रखी गई। दोनों मूल एवं डब सी.डी. को सुरक्षित मालखाने में रखा गया। समय करीब 10.45 ए.एम. पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान द्वारा परिवादी श्री अनिल कुमार चंदेल को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी परिवादी श्री अनिल कुमार चंदेल ने अपने पास से 500–500 रूपये को 60 नोट एंव 2000–2000 रूपये के 10 नोट कुल 50000/– रूपये भारतीय चलन मुद्रा के नोट पेश किये। एंव परिवादी ने बताया की आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लिफाफे के जरिये ही ली जाती है। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है : –

1	एक नोट 500/–रूपये का नम्बरी	4 BU 495999
2	एक नोट 500/–रूपये का नम्बरी	2KN 932311
3	एक नोट 500/–रूपये का नम्बरी	1RW 982931
4	एक नोट 500/–रूपये का नम्बरी	3CB 021045
5	एक नोट 500/–रूपये का नम्बरी	7CU 562630
6	एक नोट 500/–रूपये का नम्बरी	1FQ 186607
7	एक नोट 500/–रूपये का नम्बरी	6GC 043979
8	एक नोट 500/–रूपये का नम्बरी	1EU 605397
9	एक नोट 500/–रूपये का नम्बरी	2FS 068193
10	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3HH 346165
11	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4NW155002
12	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5PH 747184
13	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1BV 559038
14	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9TP 462298
15	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8TM 872399
16	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5HA 079086

17	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9AV 914548
18	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0CR 927925
19	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2 AN 506299
20	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0FP 794704
21	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5ND 939669
22	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3CQ 333856
23	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8AQ 143549
24	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1QG 214933
25	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0VT 571973
26	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0WE 911821
27	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0QM 145438
28	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6AB 216871
29	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4MV 944515
30	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8ET 457821
31	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9EH 947914
32	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1CP 004464
33	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7PB 072883
34	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0FK 274039
35	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2GL 170610
36	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7GM 265520
37	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5UB 066542
38	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9SV 126091
39	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9NN 476217
40	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1 BF 410104
41	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5EN 261471
42	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9UA 176229
43	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3HC 677734
44	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1UP 468522
45	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5MM 770168
46	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2HH 925697
47	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3QT 553509
48	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0SF 914302
49	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3UE 522321
50	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	ORM 939419

51	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5ER 048747
52	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5UE 533134
53	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6FP 882097
54	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1ME 606632
55	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0BG 752741
56	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2HN 243763
57	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8AQ 178973
58	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1MK 116169
59	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2FH 931225
60	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9GE 469214
61	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2KA 071522
62	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8DM 802386
63	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5GH 267157
64	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7AL 454438
65	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5FC 450003
66	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5AL 974060
67	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7FF 349737
68	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2BH 266762
69	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3AG 231979
70	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1AK 498344

परिवादी श्री अनिल कुमार चंदेल द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्रीमती आशा महिला कानि0 से ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर उपरोक्त समस्त नोटों एंव लिफाफा के दोनों और फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर रिश्वत राशि लिफाफे में रखवाये जाकर लिफाफे को परिवादी श्री अनिल कुमार चंदेल की पहनी हुई पेन्ट के आगे की जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये। श्री सुनिल कानि0 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्रीमती आशा महिला कानि0 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगे तो नोटों एंव लिफाफे पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री आशा महिला कानि0 से बाहर फिकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुनः सुरक्षित मालखाने मे रखवाई गई तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी

गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद मिस कॉल करें। यह मिस कॉल करने का ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री सुनिल कुमार कानि0 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, दो नई गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री अनिल कुमार चंदेल को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन–देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्रीमती आशा महिला कानि0 को बाद हिदायत ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई तथा उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई। समय करीब 11.15. ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान हाल प्रभारी कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ द्वारा परिवादी श्री अनिल कुमार को आरोपी श्री फूलचन्द स्वामी कनिष्ठ अभियन्ता की लोकेशन पता करने के सम्बन्ध में जरिये दूरभाष वार्ता करने हेतु निर्देशित किया गया था । इस पर समय करीब 11. 12 ए.एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 7014706800 से आरोपी श्री फूलचन्द स्वामी कनिष्ठ अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9983422206 पर वार्ता कराई गई, जो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में परिवादी के मोबाईल का ओपन स्पीकर करके रिकार्ड की गई। जिस पर परिवादी ने जेईएन. को कहा कि मैं कलेक्ट्री परिसर चित्तौडगढ आ गया हूं, आप कहां हो सर, तो जईन ने बताया की मैं अभी गुड्डू भाई कचौरी वाले के पास हीरा लाल चाय वाले के यहां हूं आप यही आ जाओं इस पर समय करीब 11.16 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान ने परिवादी श्री अनिल कुमार चन्देल को डिजिटल वॉईस टेप रिकोर्डर चालुकर देने के पश्चात् श्री फूलचन्द स्वामी के बताये स्थान हीरा लाल चाय वाले के पास कलेक्टी परिसर चित्तौडगढ की तरफ रवाना किया व मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री ओमप्रकाश छीपा व श्री मोहम्मद उमर मय जाप्ता श्री श्याम लाल हैड कानि0, श्री मान सिंह कानि0, श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 एवं श्री सुनिल कुमार कानि0 के सभी पैदल–पैदल ही परिवादी के पीछे–पीछे रवाना हुए। समय करीब 11.22 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान हाल प्रभारी कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा हम सभी परिवादी के पीछे–पीछे कलेक्टी परिसर चित्तौडगढ के बाहर पहूंचे जहां पर परिवादी चाय की थडी पर एक व्यक्ति से मिलने के उपरान्त बातचीत करने लगा और कुछ समय तक बातचीत करने के उपरान्त परिवादी व एक व्यक्ति बातचीत करते हुए कलेक्ट्री परिसर चित्तौडगढ में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामनें स्थित पार्किंग के पास खडे होकर बातचीत करने लगे तथा हम सभी ट्रेप पार्टी के सदस्यगण भी परिवादी एवं उक्त व्यक्ति के पीछे–पीछे पैदल चलते हुए कलेक्ट्री परिसर चित्तौडगढ की वाहन पार्किंग स्थल पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आस–पास अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित गोपनीय ईशारे का इन्तजार करने लगे। समय करीब 11:30 ए.एम. पर परिवादी श्री अनिल कुमार चंदेल ने आरोपी श्री फूलचन्द स्वामी की निजी कार आर.जे.19 सीसी 9847 से कलेक्ट्री परिसर चित्तौडगढ में एस.पी. ऑफिस के पास स्थित पार्किंग के पास रोड पर निचे उतर कर मन पुलिस निरीक्षक को निर्धारित मिस कॉल किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय ट्रेप

DSP

पार्टी के सदस्यों के तेज–तेज कदमों से चलते हुए परिवादी के पास पहुंचे जहां पर परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा गया परिवादी ने बताया कि यहीं श्री फुलचन्द स्वामी, कनिष्ठ अभियन्ता है जिनको मैने अभी–अभी 50000/– रूपये रिश्वत राशि का लिफाफा इनके कहने पर गाडी के डेसबोर्ड स्थित डिग्गी में रखा है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना तथा ट्रेप पार्टी का परिचय देते हुए अपने मन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री फुलचन्द स्वामी पुत्र श्री लक्ष्मण स्वामी जाती स्वामी उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट बुटेरी तहसिल बानसून जिला अलवर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एंव भू संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ होना बताया। इसके उपरान्त श्री फुलचन्द स्वामी, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एंव भू संरक्षण विभाग (पी. आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ से परिवादी श्री अनिल कुमार चंदेल से 50000/– रूपये रिश्वत राशि लेने बाबत् पूछा तो वह घबरा गया तथा पुनः तसल्ली देकर पूछा तो कहा कि साहब मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ करो तथा बताया कि अभी कुछ देर पहले श्री अनिल कुमार चंदेल मेरे पास आये थे जिन्होने मुझे 50000/– रूपये का लिफाफा दिया है। जिन्हें मैने मेरी कार के डेसबोर्ड स्थित डिग्गी में रखवाया है। जिस पर गवाह श्री मोहम्मद उमर वरिष्ठ अध्यापक से आरोपी की गाडी के डेशबोर्ड स्थित डिग्गी की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी कार के डेशबोर्ड स्थित डिग्गी से रिश्वत राशि का लिफाफा निकाल कर पेश किया इसके उपरान्त कलेक्ट्री परिसर चित्तौडगढ में काफि भिड भाड होने से आरोपी मय ट्रेप पाट्री व मय आरोपी की कार को लेकर ब्यूरों कार्यालय नजदीक होने से ब्यूरों कार्यालय चित्तौडगढ समय करीब 11.40 ए.एम. पर पंहुचे व अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई । समय करीब 12.15 पी.एम. पर लिफाफे में से रिश्वत राशि गवाहन श्री मोहम्मद उमर वरिष्ठ अध्यापक से निकलवा कर पूर्व में बनी हुई फर्द पेशकशी से नोटों के नम्बरों से मिलान किया तो हुबहु होना पाया गया इसके उपरान्त आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एंव भू संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ को पूछा की आपने उक्त 50000 रूपये की राशि श्री अनिल कुमार चंदेल से किस बात के लिये है इस पर श्री फुलचन्द स्वामी, कनिष्ठ अभियन्ता ने बताया कि मैनें श्री अनिल कुमार चंदेल से उक्त 50000 रूपये इनकी फर्म मेसर्स ब्ल्यू वाटर एग्रोटेक भीलवाडा द्वारा चार साईडो पर ग्राम पंचायत सोनियाणा एंव गंगरार में सोलर पम्प ड्रीप सिस्टम एंव टयुबवेल खनन का कार्यादेश के तहत नियमानुसार करवाया गया था जिस पर कुल कार्यादेश राशि 48.30 लाख रूपये के 11 प्रतिशत के हिसाब से कमीशन राशि के रूप में रिश्वत राशि की मांग की थी। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी, कनिष्ठ अभियन्ता को पूछा कि नियमानुसार नकद राशि प्राप्त करने का आपको क्या अधिकार है। बताया कि मुझसे गलती हो गई है, सरकारी नियमों के अनुसार मुझे नकद राशि प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है। इसके उपरान्त आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एंव भू संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने से नियमानुसार आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एंव भू संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ के हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिस पर श्री श्याम लाल हैड कानि0 द्वारा दो साफ कॉच की गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे हाजरीन द्वारा रंगहीन होना स्वीकार करने पर एक कॉच की गिलास के घोल में श्री फुलचन्द स्वामी, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एंव भू संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का मटमेला रंगहीन हुआ, जिसे उपस्थितियान ने स्वीकार किया। इस हल्के मटमेले रंगहीन घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिलचिट बन्द

करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर आरोपी, दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एंव भू संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का मटमेला रंगहीन हुआ जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। इस हल्के मटमेले रंगहीन घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिलचिट बन्द करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर आरोपी, दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एंव भू संरक्षण विभाग (पी. आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ के कार के डेशबोर्ड स्थित डिग्गी में बरामद रिश्वत राशि का लिफाफा के स्थान का धोवन आवश्यक होने से श्री श्यामलाल हैडकानि0 से कार के डेशबोर्ड स्थित डिग्गी को रूई के फोए को गिला कर पोछ कर कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। इस हल्के गुलाबी घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिलचीट बन्द करा मार्क डी.–1 व डी.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर आरोपी, दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रूई के फोए को नष्ट किया गया। इसके उपरान्त उक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि 50,000/– रूपये को एक सफेद कागज मे सिल कर सिलचिट किया जाकर आरोपी , दोनो गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा गये। इसके उपरान्त रिश्वत राशि में प्रयुक्त लिफाफे को सफेद लिफाफे में रखकर सफेद कपडे की थेली में रखकर सीलचीट कर आरोपी , दोनो गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एंव भू संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ के द्वारा वक्त ट्रेप आरोपी की निजी कार नम्बर आरजे 19 सीसी 9847 के डेशबोर्ड स्थित डिग्गी में फाईल के फोल्डर पर रिश्वत राशि का लिफाफा बरामद होने से आरोपी की कार को ब्यूरो कब्जे लिया गया एंव फाईल फोल्डर को भी शामिल कार्यवाही किया गया। इसके उपरान्त आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एंव भू संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ से संबंधीत दस्तावेज मांगे तो आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एंव भू संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ ने बताया की परिवादी के पेण्डिग कार्य से सम्बधित दस्तावेज मेरे किराये के मकान पर है जिस पर मैं ब्यूरों के समक्ष पेश कर दूंगा । आईन्दा आरोपी के घर की खाना तलाशी के दोरान उक्त दस्तावेज प्राप्त कीये जायेगें । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से मुर्तीब की गई जिस पर परिवादी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवार शामिल कार्यवाही की गई । उपरोक्त कार्यवाही के दौरान प्रयुक्त की गई ब्यूरो कार्यालय की नमूना सील को फर्द में अंकित किया गया। समय करीब 01.30 पी.एम. पर रिश्वती राशि के लेन–देन के सम्बन्ध में परिवादी श्री अनिल कुमार चन्देल एवं आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ के मध्य हुई मोबाईल वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था, परिवादी द्वारा डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर पेश किये जाने पर रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकॉर्ड शुदा मोबाईल वार्ता को सुना गया एवं गवाहान को भी सुनाया गया । रिकॉर्ड शुदा मोबाईल वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मूर्तिब की जाकर दोनों गवाहान एवं आरोपी व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष ही रिश्वती राशि के लेन–देन से पूर्व मोबाईल पर आरोपी व परिवादी के मध्य हुई उपरोक्त वार्ता परिवादी तथा आरोपी को चलाकर सुनाई गई तो दोनो ने अपनी–अपनी आवाज होना स्वीकार किया । तत्पश्चात् ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई को

कम्प्युटर से कनेक्ट कर मूल सीडी एवं डब सीडी श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से तैयार करवाई गई। मूल सीडी चलाकर उपरोक्त मौतबिरानों तथा परिवादी को सुनाई गई, सी.डी. पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिलचिट किया जाकर कपडे की थैली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो ली गई । समय करीब 02.00 पी. एम. पर रिश्वती राशि के लेन–देन के सम्बन्ध में परिवादी श्री अनिल कुमार चन्देल एवं आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी, कनिष्ठ अभियन्ता, के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था, परिवादी द्वारा डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर पेश किये जाने पर रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकॉर्ड शुदा रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता को सुना गया एवं गवाहान को भी सुनाया गया तो आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लेन–देन की पुष्टि होना पाया गया । रिकॉर्ड शुदा रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मूर्तिब की जाकर दोनों गवाहान एवं आरोपी व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष ही रिश्वती राशि के लेन–देन के सम्बन्ध मे आरोपी व परिवादी के मध्य हुई उपरोक्त वार्ता परिवादी तथा आरोपी को चलाकर सुनाई गई तो दोनो ने अपनी–अपनी आवाज होना स्वीकार किया । तत्पश्चात् ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई को कम्प्युटर से कनेक्ट कर मूल सीडी एवं डब सीडी श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से तैयार करवाई गई। मूल सीडी चलाकर उपरोक्त मौतबिरानों तथा परिवादी को सुनाई गई, सी.डी. पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिलचिट किया जाकर कपडे की थैली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो ली गई । समय करीब 02.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान प्रभारी कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान परिवादी व आरोपी के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका मूर्तिब किया गया, जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त समय करीब 03.30 पी. एम. पर परिवादी श्री अनिल कुमार चन्देल तथा आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ के मध्य दिनांक 19.07.2022 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान उक्त वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर मे उपयोग लिया गया के.डी.एम. कम्पनी का सरकारी मूल मेमोरी कार्ड जो 08 जी.बी का है, उक्त मूल सरकारी मेमोरी कार्ड जिसमे उपरोक्त वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त मेमोरी कार्ड को कागज के लिफाफे में डालकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क "एम." अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 04.00 पी.एम. पर परिवादी श्री अनिल कुमार चन्देल तथा आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ के मध्य दिनांक 01.08.2022 को हुई रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता के दौरान उक्त वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर मे उपयोग लिया गया के.डी.एम. कम्पनी का सरकारी मूल मेमोरी कार्ड जो 08 जी.बी का है, उक्त मूल सरकारी मेमोरी कार्ड जिसमे उपरोक्त वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त मेमोरी कार्ड को कागज के लिफाफे में डालकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क "एम. 1" अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त समय करीब 04.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान प्रभारी कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री फूलचन्द स्वामी, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एंव भू संरक्षण विभाग(पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ की कार वॉल्स वेगन कम्पनी की ररिस्टर्ड नम्बर आर.जे. 19 सी.सी. 9847 सफेद कलर की हैं जिसमें कार के

डेशबोर्ड स्थित डिग्गी में से रिश्वत राशि 50,000/– रूपये बरामद होने से वजह सबूत उक्त कार को जब्त की जाकर फर्द जब्ती पर पृथक से मुर्तीब कर स्वंतन्त्र गवाहन व सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त समय करीब 04.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान प्रभारी कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ हमराह जाप्ता उपरोक्त मौतबिरान,परिवादी व आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ मय परिवादी के आरोपी के किराये के आवास मकान नम्बर 19 नाकोडा नगर पार्वती गार्डन के पिछे प्रथम तल चित्तौडगढ पर खाना तलाशी लेने हेतु ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से रवाना शुदा पहूंचा जंहा पर आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाशी नियमानुसार प्रारम्भ कर फर्द खाना तलाशी पृथक से मूर्तिब की जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त समय करीब 05.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान मय हमरा जाप्ता मय आरोपी श्री फूलचन्द स्वामी कनिष्ठ अभियन्ता के निवास स्थान की खाना तलाशी लेकर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आया । इसके उपरान्त समय करीब 05. 40 पी.एम. पर आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट संशोधित (2018) में प्रथम दृष्ट्या अपराध प्रमाणित होने से आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी पुत्र श्री लक्ष्मण जी स्वामी उम्र 41 वर्ष जाति स्वामी निवासी ग्राम पोस्ट बूटेरी तहसील बानसून जिला अलवर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ को उसके द्वारा किये गये जूर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसकी पत्नी श्रीमति विजया कुमारी को जरिये दी गई इसके उपरान्त समय करीब 06.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान प्रभारी कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ के समक्ष दौराने कार्यवाही उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एंव भू संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ के सेवा अभिलेख जरिये विशेष वाहक के प्राप्त हुए जिस पर उक्त प्राप्त शुदा सेवा अभिलेख को बाद अवलोकन शामील कार्यवाही किया गया । इसके उपरान्त समय करीब 06.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक दया लाल चौहान प्रभारी कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ द्वारा बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी श्री अनिल कुमार चन्देल को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ को रूकसत दी गई तथा उक्त कार्यवाही में जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स धोवन की शिशियां सिलचिट शुदा, सिल चिट शुदा सीडीयां, मेमोरी कार्ड्स एवं सिलचिट शुदा रिश्वत राशि 50000 रूपये को मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु मालखाना इंचार्ज श्री श्याम लाल हैड कानि0 को सुपुर्द किये गये।

अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया की परिवादी श्री अनिल कुमार द्वारा लिखित रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया की श्री फुलचन्द स्वामी कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ फर्म जिसका में साइट इंचार्ज हूं ब्ल्यू वाटर एग्रोटेक भीलवाडा द्वारा ग्राम पंचायत सोनियाणा एवं गंगरार जिला चित्तौडगढ में चार साईटों पर सोलर पम्प तथा ड्रीप सिस्टम एवं ट्यूबवेल खनन से सम्बन्धित करवाये गये कार्यो के बिलो के भूगतान करवाने के बदले 11 प्रतशित कमिशन के हिसाब से रिश्वत की मांग कर रहै है जिस पर दिंनाक 19.07.2022 को मांग सत्यापन करवाया गया जिसमें आरोपी द्वारा एक लाख रूपये रिश्वत मांगने की पूष्ठी होने पर दिंनाक 01.08. 2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया जिसमें आरोपी श्री फूलचन्द स्वामी कनिष्ठ अभियंता को परिवादी श्री अनिल कुमार चंदेल से 50000/– रूपये रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया । इस प्रकार आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय

जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ द्वारा एक लोक सेवक होते हुये अपने वेद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एंव अवेध तरिके से परिवादी श्री अनिल कुमार चंदेल द्वारा किये गये कार्यो के बिलो के भूगतान करवाने की एवज में 50000/– रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया जोकी जुर्म अन्तर्गत धारा 7, पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 के तहत दण्डनिय अपराध है।

अतः आरोपी श्री फुलचन्द स्वामी पुत्र श्री लक्ष्मण स्वामी जाती स्वामी उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट बुटेरी तहसिल बानसून जिला अलवर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एंव भू संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार जिला चित्तौडगढ के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत जूर्म धारा 7, पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 तैयार कर वास्ते क्रंमाकन हेतु मुख्यालय श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(दयाँ लाल चौहान)
प्रभारी
कार्या0 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
चित्तौड़गढ़

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दया लाल चौहान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री फूलचन्द स्वामी, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग (पी.आई. ए.) गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 303/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 2655-59 दिनांक 2.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

2.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।